

एफोर्डेबल आवास योजना का उपहार आपके लिए आपके द्वार

प्रदेश शासन की ए० एच० पी० नीति के मानकों पर निर्माणाधीन एफोर्डेबल हाउसिंग के अन्तर्गत भवनों का पंजीकरण



पाथ रिपब्लिक लखनऊ की ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के मानकों पर निर्माणाधीन टाउनशिप



पंजीकरण-पुस्तिका

पाथ इंफ्राबिल्ड प्रा० लि०

मिरनपुर पिनवट कानपुर रोड लखनऊ
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में विकसित
(लखनऊ एयरपोर्ट के समीप)

REPL
The Power of Knowledge

रजिस्टर्ड आफिस:
पाथ इंफ्राबिल्ड प्रा० लि०
प्लॉट न०. 311 - 315
नवरंग हाउस 21, कस्तुरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001



पार्थ समृद्धि

हमारा प्रयास सबको आवास
एफोर्डेबल आवास योजना के मानकों के अधीन

एफोर्डेबल सबके लिए आवास का दर्शन एवं दृष्टिकोण पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ससम्मान अपनाया गया है। इस आवास योजना के अंतर्गत समृद्धि "हमारा प्रयास-सबको आवास" पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड का दृष्टिकोण है, जिससे वह सभी की जरूरतों और घर के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर अमौसी एयरपोर्ट के समीप स्थित पार्थ रिपब्लिक की समृद्धि 1 बी एच के और 2 बी एच के अपार्टमेंट उपलब्ध कराती है। साथ में उच्चकोटि के रहन-सहन के अनुरूप लग्जरी भवन में विशेष रूप से डिजाइन की गई है और स्पष्ट रूप से अनुपातित समृद्धि, पार्थ रिपब्लिक स्मार्ट सिटी के अंदर तैयार की जा रही है। अनेक स्मार्ट एवं आरामदायक सुविधाएँ जैसे की क्लब कैपिटल, पार्थ सेन्टर फार एक्सेलेंस इन क्रिकेट, स्वीमिंग पूल और प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण माहौल आपके जीवन को खुशहाली से भर देता है।

समृद्धि सामान्य आदमी एवम उसके परिवार के लिए घर बनाने के भरोसेमंद इरादे के प्रति समर्पित है।

नगर का अभिकल्पन चित्र



पार्थ रिपब्लिक-स्मार्ट विशेषताएं

- आईकॉनिक टॉवर
- ब्रॉडेड अपार्टमेंट एवं स्टेट-ऑफ-द-आर्ट ऑफिस
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉड का भव्य मॉल
- पार्थ सेन्टर फार एक्सेलेंस इन क्रिकेट PCEC
- अभिनव मिश्रित-भूमि उपयोग
- खुले आकाश के नीचे कैफेटेरिया
- छह स्क्रीन का मल्टीपलेक्स

स्मार्ट लोगों की जीवनशैली

- कुशल ट्रेफिक मैनेजमेंट
- जल संचयन
- उच्च इंफ्रास्ट्रक्चर
- पूरी टाउनशिप में ऑप्टिकल फाइबर केबल
- वाई-फाई सेवा युक्त विशिष्ट क्षेत्र
- गेटेड सिक््योरिटी



संगृहीत, स्पेशियस इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त 1 BHK और 2 BHK अपार्टमेंट है जो जो आपके जीवन शैली के लिए उपयुक्त और सुविधाजनक है। विस्तृत अपार्टमेंट के द्वारा परिष्कृत उद्यानों के तारफ़ खूलते हैं। हवादार कमरे, आधुनिक रूप से डिजाईन की गई रसोई और सर्विस बालकनी आपके जीवन को आरामदायक बनाते हैं।



आशा-आभा काल्पनिक चित्र

मौके पर चल रहे निर्माण के वर्तमान चित्र



Asha - Abha



Anant


Humming

EWS - LIG (Asha & Abha)

Canary Phase 2

Canary Phase 1

आशा और आभा क्लस्टर प्लान



RERA Registration Number: **UPRERAPRJ8607**

आभा यूनिट प्लान

1 BHK UNIT PLAN LIG UNIT

CARPET AREA = 33.71 SQ MT.= 362.85 SQ FT.
BALCONY AREA = 1.82 SQ MT.= 19.60 SQ FT.

BUILT UP AREA = 40.61 SQ MT.= 437.12 SQ FT.
SUPER AREA = 51.37 SQ MT.= 553 SQ FT.



NOTE:
UNIT CONVERSION (1 SQ.MT.=10.764 SQ.FT.)

ACCOMODATION:
1 BEDROOM, DRAWING ROOM, KITCHEN,
1 TOILET, 1 BALCONY.

आशा यूनिट प्लान

1 BHK UNIT PLAN

EWS UNIT

CARPET AREA = 28.37 SQ MT.= 305.37 SQ FT.
BALCONY AREA = 1.74 SQ MT.= 18.73 SQ FT.

BUILT UP AREA = 34.74 SQ MT.= 373.94 SQ FT.
SUPER AREA = 43.94 SQ MT.= 473 SQ FT.



NOTE:
UNIT CONVERSION (1 SQ.MT.=10.764 SQ.FT.)

ACCOMODATION:
1 BEDROOM, DRAWING ROOM, KITCHEN,
1 TOILET, 1 BALCONY.

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्राविधानों के अन्तर्गत 'समृद्धि' (G+14 and G+15) किफायती आवासीय योजना के भवनों का विवरण:

1. पंजीकरण :

1.1 पंजीकरण हेतु पात्रता:

- योजना की स्वीकृत डी.पी.आर. के आधार पर आहर्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु आवंटन में वरीयता नहीं मिलेगी।
- आवेदक अथवा उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसका पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों अथवा संस्थाओं द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।
- एक परिवार एक ही बार आवेदन कर सकता है।
- फ्लैट्स के आवंटन हेतु केवल पति, पत्नी अथवा एक ही परिवार के रक्त सम्बन्धी सदस्य ही संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी। अन्य कोई संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- रु. 6 लाख से कम अनुमानित मूल्य की सम्पत्तियों यथा ई डब्लू एस हेतु ऐसे परिवार पात्र नहीं होंगे जिनके पास निजी मोटराइज्ड चार-पहिया वाहन है।
- आवंटन के बाद सफल आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है।

टिप्पणी: उत्तर प्रदेश शासनादेश दिनांक 21.03.2016 के अनुसार जो भी सफल आवेदक शासन द्वारा अनुदान के योग्य होंगे, उनका प्राप्त अनुदान आवंटित इकाई के खाते में जमा होगा।

2. सम्पत्तियों का विवरण:

बिल्डिंग एवं फ्लैटों के डिजाईन में परिवर्तन हो सकता है।

खंड	ब्लॉक	इकाई का नाम	इकाई	उपलब्ध भवनों की संख्या	कार्रपेट एरिया (वर्ग मीटर)	कार्रपेट एरिया (वर्ग फीट)	विक्रय एरिया (वर्ग मीटर)	विक्रय एरिया (वर्ग फीट)	कुल बेसिक मूल्य लाख रुमें	पंजीकरण राशि रुमें
ई डब्लू एस/एल आई जी	ई डब्लू एस	आशा	1 बी एच के	37	28.37	305	43.94	473	8.85	11000/-*
	एल आई जी	आभा	1 बी एच के	62	33.71	363	51.37	553	14.60	21000/-*

उपरोक्त दी गयी उपलब्ध भवनों की संख्या न्यूनतम है इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिक रिक्तियाँ उपलब्ध है जिसकी सूचना कार्यालय में उपलब्ध है। आवेदक कृपया समस्त विवरण स्वयं या अपने एजेन्ट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

1sq.mt = 10.764 Sq.ft

ई.डब्लू.एस. हेतु आवंटनी की वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- एवं एल.आई.जी. हेतु वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- से अधिक परन्तु रु. 6,00,000/- तक निर्धारित है। भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया जायेगा तथा आवंटन की तिथि से 3वर्षों अथवा देय लागत जमा करने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक आवंटित भवनों के विक्रय/हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध रहेगा, तत्पश्चात् यह फ्री होल्ड माना जायेगा। यह मानक, शासन की नीतियों के अधीन परिवर्तनीय हैं।

नोट:

- उपरोक्त दरें एफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2014 की दरों पर आधारित हैं। यदि एफोर्डेबल आवास पालिसी के अधीन कोई नोटिफिकेशन/आफिसिअल कोस्ट इंडेक्स जारी किया जाता है तो तदानुसार यह दरें भी बढ़ जायेंगी और आवंटी उन्हीं बढ़ी दरों के आधार पर भुगतान को बाध्य होगा और इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा।
 - शासन की एफोर्डेबल आवास नीति के अधीन इस विवरण पुस्तिका में अंकित सम्पत्तियों का विवरण तालिका में अंकित है। सभी श्रेणी की ईकाइयों के मूल्य तथा आवंटन नियमों का पालन किया गया है।
 - ए. एच.पी. मानकों पर आधारित डी. पी. आर. लीडा के विचाराधीन है। उसके स्वीकृत हो जाने पर आवंटी को अतिरिक्त सुविधाएं भी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
 - उपरोक्त सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा समाज के विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्धारित पंजीकरण धनराशि की आधी धनराशि जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है।
 - उपरोक्त फ्लैटों की संख्या अनुमानित है जो घट या बढ़ सकती है। उपरोक्त फ्लैटों का घोषित मूल्य अनुमानित है, जिसमें एफोर्डेबल आवास नीति 2014 के अनुसार 5.72 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। नियमांतर में मूल्य के निर्धारण का अधिकार विकासकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
 - शासन अथवा किसी शासकीय अभिकरण द्वारा कोई अतिरिक्त टैक्स यथा जी.एस. टी आदि रोपित किया जाता है तो वह आवंटी द्वारा अलग से देय होगा।
 - अनुमानित क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर भवन का मूल्य वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार देय होगा।
 - पी. एल. सी शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
 - भवन पूर्ण होने के 3 माह के अन्दर आवंटी को रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा अथवा तीन माह पश्चात् रु. 1 प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह ब्याज सहित देय होगा। एक वर्ष तक रजिस्ट्री नहीं कराने पर आवंटन निरस्त करते हुए पंजीकरण राशि में से 20% राशि की कटौती करके शेष राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
 - फ्लैटों की ग्राउण्ड फ्लोर में उपलब्धता होने पर विकलांगों को ग्राउण्ड फ्लोर में प्राथमिकता के लिये सी.एम.ओ. द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र लगाना आवश्यक है।
- 2.1 उपरोक्त भवनों का आवंटन शासन की नीतियों के अनुसार किया जाएगा।
 - 2.2 आवासीय इकाइयों की रिक्तियों की संख्या की सीमा तक "प्रथम आये तथा प्रथम पाये" सिद्धान्त के आधार पर आरक्षण किया जायेगा। आरक्षण की तिथि से उक्त आवासों का आवंटन प्रार्थियों को सुनिश्चित माना जायेगा। कब्जा समर्पित करने से पूर्व किसी तिथि को या आरक्षण पत्र निर्गत कर देने के उपरान्त विकासकर्ता के विवेक पर निर्धारित किसी भी तिथि को आवासीय इकाई संख्या तथा स्थिति का आवंटन प्रथम आएँ प्रथम पाएँ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। आवंटन में प्राप्त आवासीय इकाई का ही कब्जा प्रार्थी को दिया जायेगा तथा उसी के स्वामी होने के उसके समस्त विक्रय अभिलेख पंजीकृत किये जा सकेंगे।
 - 2.3 चयन के पश्चात वांछित धनराशि एवं किश्तें निर्धारित अवधि में जमा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। आवंटन के उपरान्त जमा की जानेवाली आरक्षण धनराशि ईकाई मूल्य का 5 प्रतिशत होगी तथा आरक्षण धनराशि जमा करते ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। यदि आवंटी द्वारा आरक्षण धनराशि अथवा देय किश्त की धनराशि उसकी देय तिथि से अधिकतम 90 दिन में ब्याज सहित जमा नहीं की जाती है तो उस का आरक्षण / आवंटन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार विकास कर्ता को होगा। जमा धनराशि के वापस लेने की स्थिति में बुकिंग हेतु जमा प्रारम्भिक धनराशि के 20 प्रतिशत की धनराशि तथा विलम्ब हेतु देय दण्ड ब्याज की धनराशि की कटौती कर के मूल धनराशि वापस की जा सकेगी। 90 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में ब्याज दर 15 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत देय होगी।
 - 2.4 विकास कर्ता द्वारा ये फ्लैट सितम्बर/अक्टूबर 2022 में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
 - 2.5 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्री-होल्ड चार्जज व अन्य व्यय का भुगतान भवन का निबन्धन/अनुबन्ध डीड कराने से पूर्व करना होगा। निबन्धन/अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित स्टैम्प पेपर आवंटी को स्वयं उपलब्ध कराना होगा। (यदि मान्य हुआ)
 - 2.6 भवन का निबन्धन/अनुबन्ध रजिस्टर्ड होने के साथही आवंटी को भवन का कब्जा हस्तगत कर दिया जायेगा।
 - 2.7 सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी द्वारा कोई भी निर्माण बिना विकासकर्ता के अनुमति के नहीं किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर आवंटन नियमानुसार कटौती करते हुए पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन का कब्जा विकासकर्ता द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

3 आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में :

यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आवेदन/उसको आवंटित भवन,सर्वप्रथम पति/पत्नी को एवं पति/पत्नी की मृत्यु होने पर पुत्र/पुत्री को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

4 आरक्षण:

4.1 शासन देश के अनुसार आरक्षण निम्न प्रकार देय होगा।

क्रमांक	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो	05
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02
7.	सुरक्षा सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	विकलांगों को शासनादेश सं. 786/आठ-1-08-25 विविध/07 दिनांक 30.1.08 तथा 3645/आठ-1-2011-25 विविध/07 दिनांक 19 दिसम्बर 2011 के अनुसार 03 प्रतिशत होरीजोण्टल आरक्षण देय होगा।	

(नोट:— यदि उपरोक्त सूची में दी गयी आरक्षण तालिका के अनुसार आवेदन पत्र विकासकर्ता को समयसीमा में प्राप्त नहीं होते हैं तो आरक्षित प्लैट भी सामान्य श्रेणी में गिने जायेंगे।) 5.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिये निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत आरक्षण वृद्धजनों के लिये उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण होरीजोण्टल होगा।

4.2 वृद्धजनों से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्होंने आवेदन की तिथि को 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

4.3 आरक्षण के लिए सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4.4 पैरा 5.3 व 5.1(5) का आरक्षण प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

4.5 (अ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापो में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बंटों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(ब) जो पेशावर कांड में रहा होया जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हो या भूतपूर्व इण्डियन नेशनल आर्मी के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

4.6 सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

4.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

4.8 अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य उ0प्र0 (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट हैं। इस अधिनियम की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आने वाले आवेदकों की सुविधा का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

4.9 लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

5. आवंटन:

5.1 आवंटन के लिए आवेदन पत्र अर्ह श्रेणी के आवेदकों से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर रिक्त प्लैटों की अनुमानित संख्या के अनुसार ही स्वीकार किये जायेंगे।

5.2 केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवेदन ही सभी श्रेणियों में स्वीकार किये जायेंगे जिनको प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा और यदि कोई पहले आओ-पहले पाओ श्रेणी से आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जायेगा तो इस सूची से आवेदक पहले आओ-पहले पाओ की श्रेणी में पहुँच जायेगा।

5.3 प्लैटों (फ्लौर/यूनिट नं0) का आवंटन प्लैट की उपलब्धता के आधार पर पहले आओ-पहले पाओ के माध्यम से शासन की नीतियों के अनुसार किया जायेगा।

5.4 विकासकर्ता द्वारा व्यक्तियों को प्रथम आएं प्रथम पाएं के आधार पर आवंटन किये जा सकेंगे।

6. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं असफल आवेदकों की जमा धनराशि की वापसी :

- 6.1 असफल एवं निरस्त आवेदन पत्र के आवेदकों को 3 से 6 माह के अन्दर अकाउन्ट पेई चेक द्वारा धनराशि बिना ब्याज के बैंक के माध्यम से वापस की जायेगी। इस हेतु आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपने बैंक का खाता अंकित करना होगा।
- 6.2 सम्पत्ति के आवंटन के पश्चात् 90 दिनों के अंदर धनराशि वापस लेने पर 20 प्रतिशत (पंजीकरण धनराशि पर) कटौती करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

7. तथ्यों को छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है तो उनके आवंटन/ अनुबन्ध/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विकासकर्ता को होगा, आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो चुका है तो विकासकर्ता री-एन्ट्री करते हुए फ्लैट का कब्जा वापस प्राप्त कर सकेगा अथवा विकासकर्ता लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार अन्य कोई कार्यवाही (जो उचित समझें) कर सकता है।

8. भुगतान:

आवंटीयो द्वारा एफोर्डेबल आवास नीति 2014(5.2) के अनुसार देय धनराशि का भुगतान सीधे विकासकर्ता को किया जायेगा तथा आवंटी के पक्ष में विक्रय-विलेख के निबन्धन हेतु विकासकर्ता द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

9. फ्लैट्स का कब्जा :

- 9.1 फ्लैट्स के सम्पूर्ण मूल्य व अन्य व्ययों के भुगतान के उपरान्त अनुबन्ध/निबन्धन निष्पादन के साथ ही आवंटी को फ्लैट का कब्जा दिया जायेगा। आवंटन तिथि से सितम्बर/अक्टूबर 2022 तक जो कि प्रस्तावित है, फ्लैट का कब्जा न दिये जाने की स्थिति में आवंटी को अपनी जमा धनराशि पर 15 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ अपनी ब्याज सहित जमा धनराशि वापस लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके अतिरिक्त अन्य कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 9.2 अनुबन्ध/निबन्धन में आने वाला समस्त व्यय एवं स्टैम्प पेपर का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
- 9.3 विकासकर्ता द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी का नियमानुसार आरक्षण शुल्क देना होगा तत्पश्चात् अनुबन्ध/निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर विकासकर्ता को लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण को सूचित करते हुए फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

10. शुल्क / कर आदि की देयता :

नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लाये गये समस्त कर/शुल्क आवंटी पर देय होंगे।

11. अन्य सामान्य नियम व शर्तें :

- 11.1 आवंटन के पश्चात् विकासकर्ता की अन्य प्रचलित शर्तें/नियम तथा समय-समय पर विकासकर्ता अथवा प्राधिकरण द्वारा किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 11.2 आवेदन-पत्र में नवीनतम फोटोग्राफ जिस पर आवेदक के नाम अंकित हो, लगाना आवश्यक होगा।
- 11.3 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ या दिल्ली नगर परिसर होगा।

12. पंजीकरण प्रक्रिया :

- 12.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका किसी भी कार्य दिवस में रु 100/- नकद भुगतान कर विकास कर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

- 12.2 पंजीकरण हेतु पूर्ण रूप से भरी हुई सभी संलग्नकों के साथ विवरण पुस्तिका किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 6 बजे तक विकासकर्ता के कार्यालय में जमा होगी।
- 12.3 योग्य आवेदकों की सूची जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर पहले आओ-पहले पाओ के माध्यम से फ्लैटों का वितरण कर दिया जायेगा।
- 12.4 उपयुक्त इकाइयों की सीमा संख्या पर ही पंजीकृत "प्रथम आयें प्रथम पायें" आधार पर लिये जायेंगे। बैंक में प्रारम्भिक धनराशि "शुल्क जमा होने की तिथि या बैंक ड्राफ्ट से अदायगी करने पर प्रार्थना पत्र के साथ निर्गत रसीद की प्राथमिकता का आधार होगी।
- 12.5 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन-पत्र पूर्ण रूपेण भरें।

पंजीकरण की धनराशि का ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / चेक • Paarth Republic PMAY-1 (For Asha\Abha)

के पक्ष में जो लखनऊ शहर में देय होगा।

विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र के प्रारूप को रू 10/-के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी / मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित कराते हुए आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

पूर्ण रूप से भरे आवेदन-पत्र विकासकर्ता के कार्यालय में अन्तिम तिथि से पूर्व जमा किये जा सकते हैं।

आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विकासकर्ता द्वारा बढ़ायी जा सक

13. आवेदन-पत्र भरने के लिए अनुदेश:

1. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप के . वाई. सी. के अनुरूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. शासनादेश के अनुक्रम में फ्लैट का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः आवेदक की सुविधा के लिए आवेदन-पत्र के क्रमांक 6 व 7 पर पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
3. संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गये आवेदन-पत्र में दोनो आवेदकों द्वारा हस्ता[रित किये जाने चाहिए।
4. आवेदन-पत्र पर आवेदक / आवेदकों का पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाना होगा।
5. आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट / चेक के पीछे पूरा नाम, पता एवं आवेदन-पत्र का क्रमांक अंकित कर दिया जाना चाहिए।

पंजीकरण की धनराशि का ड्राफ्ट / पे-ऑर्डर / चेक • Paarth Republic PMAY-1 (For Asha\Abha)

के पक्ष में जो लखनऊ शहर में देय होगा।

6. आवेदक कृपया अपने बैंक खाते से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनायें आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य भरें जिससे कि असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि की वापसी सीधे उनके खातों में तत्काल सम्भव हो सकेगी।

(अ) बैंक के ब्रांच का एम.आई.सी.आर. कोड (ब) बैंक के ब्रांच का आईएफएसआई कोड (स) खाते का प्रकार (बचत / करेंट / कैंश क्रेडिट)

14. भुगतान पद्धति के कोड:

स्ववित्त पोषित (36 माह में 12 आसान किश्तों में भुगतान) (For only EWS / LIG)

15. प्रस्तावित योजना का नाम :

समृद्धि

लखनऊ

16. फ्लैट का प्रकार:

ई डब्ल्यू एस

एल आई जी

एल. आई. जी / एम. आई. जी (कैनरी)

आशा / आभा और अनंत के लिए

पार्थ इंफ्राबिल्ड प्रा0 लि0
फ्लैट न0. 311-315 नवरंग हाउस
21 कस्तूरबा गाँधी मार्ग
नईदिल्ली-110 001
Website: www.paarthinfra.com

1 आवेदक के
स्व-हस्ताक्षरित फोटो

2 आवेदक के
स्व-हस्ताक्षरित फोटो

शपथ-पत्र का प्रारूप

(शपथ-पत्र रू- 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं / हम श्री / श्रीमती -----पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री -----
आयु ----- वर्ष ----- निवासी -----
शपथपूर्वक यह बयान करता / करती हूँ / करते हैं कि :-

1. मैं / हम भारत का / के नागरिक हूँ / है।
2. मेरे या मेरे परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसकी पति / पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के किसी सदस्य का लखनऊ नगर में लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना भूखण्ड / भवन नहीं है।
3. यदि भूमि अर्जन के प्रकार के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों अनुरूप भुगतान करूंगा करूंगी / करेगा।
4. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा / करूंगी / करेगा। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं विकासकर्ता उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे / हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
5. मेरे अथवा मेरे परिवार के पास निजी चार पहिया मोटराइज्ड वाहन नहीं है। (केवल EWS हेतु लागू)
6. आवेदन-पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं, वे सत्य हैं।
7. मेरे द्वारा पंजीकरण फार्म में खाता सम्बन्धी विवरण दिया गया है जो कम से कम दो वर्ष तक मान्य रहेगा।
8. यह कि वर्तमान में हमारा परिवार अविकसित / मलिन बस्ती क्षेत्र में निवास करता है।
9. यह कि मैं इस योजना क्षेत्र के गांव / शहर ----- में निवास करता हूँ।
10. भारत सरकार की MOHUPA गाइडलाइन्स दिसम्बर 2013 तथा यू०पी० सरकार की ए०एच०पी० के आधीन आर०ए०वाई० नार्म्स की नीति संख्या 1.5 में परिभाषित परिधि में निजी भूमि पर योजना विकसित करने की शासन की नीति के तदनुसार प्राथमिकता देते हुए मलिन बस्तियों के बनने से रोकने के लिए तथा शहरीकरण के दबाव में आवासों की तलाश में आने वाले माइग्रेंट्स की सुविधा हेतु अतिरिक्त आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन-सामान्य को अर्हता श्रेणी की इकाई आवंटित की जाएगी। उन्हें “प्रथम आओ-प्रथम पाओ” के आधार पर आवंटन किया जायेगा

यदि उपरोक्त घोषणाएं भविष्य में असत्य पायी जायें तो विकासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड / भवन निरस्त कर दें तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर लें। यदि भूखण्ड की रजिस्ट्री हो गई हो तो भी इस मिथ्या निरूपण के कारण जुर्माने / दण्ड स्वरूप रजिस्ट्रीकृत भूखण्ड के मूल्य के बराबर धनराशि भू-राजस्व के बकाया की भांति मुझसे वसूली कर ली जाय।

शपथी

नेशनल हाउसिंग मिशन तथा उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अधीन विकसित पार्थ इंफ्राबिल्ड प्रा0 लि0 मिरनपुर पिनवट लखनऊ कानपुर रोड लखनऊ सामान्य, अनुमन्य, अग्रिम पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

योजना का नाम:-

1. आशा

2. आभा

1 आवेदक के
स्व-हस्ताक्षरित फोटो

2 आवेदक के
स्व-हस्ताक्षरित फोटो

- आवेदक का नाम (हिंदी में) 1.....
आवेदक 2 का नाम
 - आवेदक 1 का विवरण**
 - पिता/पति का नाम
 - जन्मतिथि
 - आयु
 - पता (अ) वर्तमान पता (पत्रव्यवहार हेतु)
पिनकोड टेलीफोन न0 ई.मेल
 - (ब)स्थायी पता
..... पिनकोड
 - टेलीफोन न0 (1)..... (2).....
 - वार्षिक आय.....
 - आरक्षण श्रेणी(आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करें).....
(आरक्षित श्रेणी का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)
 - पंजीकरण धनराशि की वापसी हेतु आवेदक के खाते का विवरण
बैंक का नाम शाखा का नाम
 - A/C No..... IFSC कोड..... स्थान.....
 - जमा की गयी पंजीकरण धनराशि का विवरण दुर्बल, आय वर्ग (ईडब्लूएस)/अल्प आय वर्ग (एलआईजी) अनंत
पंजीकरण धनराशि: शब्दों में शाखा.....
चैक/ड्राफ्ट न0..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
 - आवेदक का व्यवसाय..... वार्षिक आय.....
प्रमाणपत्र भी संलग्न करें
 - आवेदक के परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या
- | नाम | आयु | सम्बन्ध |
|---------|-------|---------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

13. मौजूदा मकान का मालिकाना व्योरा
(स्वामित्व – 01, किराया – 02, अन्य –03)
14. आधार कार्ड संख्या
(यदि उबलब्ध नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र कोई अन्य विशिष्ट पहचान संख्या अथवा लाभार्थी के मूल निवास जिले के राजस्व प्रभारी से माकन स्वामित्वका प्रमाणपत्र)
15. धर्म.....
(हिन्दू 01, मुस्लिम – 02, क्रिश्चियन – 03, सिख – 04, जैन – 05, बौद्ध – 06, अन्य – 07)
16. इस कस्बे शहर में रहने के वर्षों की संख्या
(0 से 1 वर्ष – 01, 1 से 3 वर्ष – 02, 3 से 5 वर्ष–03, 5 वर्ष से अधिक –04)
17. क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी अपना मकान रिहायशी भूमि है
(अ) यदि हाँ तो स्थान का ब्यौरा दे
(बस्ती शहर राज्य)
(ब) यदि हाँ तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दे
18. क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है
(हाँ / नहीं)
(यदि हाँ तो कृपया बीपीएल कार्ड संख्या दे)
19. पंजीकरण का निरस्त्रीकरण:— एवं असफल आवेदकों की जमा राशि की वापसी पंजीकरण पूस्तिका में दिए गए पेरा 6.1, 6.2 और 2.3 के अनुसार की जाएगी।

घोषणा

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ की उपरोक्त सुचना में व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार पूर्णतः सही है और इस विषय में कुछ भी नहीं छिपाया गया है मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ की मैंने ब्रोशर आवंटन की नियम एवं शर्तों का भली-भांति अवलोकन किया है तथा उसमें वर्णित ग्राह्यता की नियम शर्तों को पूर्ण करता/करती हूँ सभी नियम एवं शर्तों को पद लिया है और उन का अनुपालन करने में सहमत हूँ।

Declaration

I hereby declare that the foregoing information is correct, true and complete to the best of my knowledge and nothing has been concealed/distorted. I, further declare that I fulfill the eligibility in the brochure and I have carefully read and understood the terms and condition and hereby agree to abide by the same.

दिनांक / Date:

आवेदक के हस्ताक्षर/Signature of Applicant

नोट— पंजीकरण धनराशि केवल बैंक चेक/बैंकड्राफ्ट/पेआर्डर के द्वारा स्वीकार की जाएगी। नगद धनराशि स्वीकार नहीं की जाएगी।

आवेदक पत्र के साथ जमा किये जाने वाले प्रापत्रों की सूची

- आवेदन पत्र – आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित एवं सभी जानकारी निर्धारित स्थान पर भरी गयी हो।
- पहचान पत्र – आवेदक का पैन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक फोटो समेत।
- निवास प्रमाण पत्र – आवेदक का मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / बैंक द्वारा सत्यापित पासबुक फोटो समेत / पंजीकृत किराया समझौता।
- 2 फोटो
- आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- घोषणा पत्र (आवेदक की फोटो के साथ 10 / – के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड)

आवेदक के हस्ताक्षर.....

सह आवेदक के हस्ताक्षर.....



आवेदक की प्राप्ति रसीद (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाएगा)



पार्थ इंफ्राबिल्ड द्वारा विकसित लखनऊ में ई. डब्लू. एस एवं एल. आई.जी. का पंजीकरण

पंजीकरण फार्म नम्बर.....

आवेदक का नाम.....

बैंक ड्राफ्ट/चेक नं०.....धनराशि.....दिनांक.....

ड्राफ्ट/चेक निर्गत करने वाले बैंक का नाम.....शाखा.....

दिनांक

हस्ताक्षर



कम्पनी के रिकार्ड हेतु (आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाएगा)



पार्थ इंफ्राबिल्ड द्वारा विकसित लखनऊ में ई. डब्लू. एस एवं एल. आई.जी. का पंजीकरण

पंजीकरण फार्म नम्बर.....

आवेदक का नाम.....

बैंक ड्राफ्ट/चेक नं०.....धनराशि.....दिनांक.....

ड्राफ्ट/चेक निर्गत करने वाले बैंक का नाम.....शाखा.....

दिनांक

हस्ताक्षर



वास्तविक चित्र



PAARTH REPUBLIC ENTRANCE GATE



PAARTH CENTRE FOR EXCELLENCE IN CRICKET



Kids' Play Area



Pathway



Site office

पार्थ रिपब्लिक में विभिन्न एफोर्डेबल आवास योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर



Anant




Humming State Phase-1: (Tower C, D & E)



Asha | Abha

Location Map



Registered Office: Paarth Infrabuild Pvt. Ltd. **Flat no** - 311-315, 3rd floor Navrang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110001
Regional Office: 3rd Floor, Eldeco Corporate Tower, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010, **Phone:** 0522-4500500
Site Office: Paarth Republic, Miranpur Pinwat, Lucknow-Kanpur Road, Lucknow - 226010, U.P.
Branch Office 1: No. 118-119, Kan Chamber, Civil lines, Kanpur
Branch Office 2: 3rd Floor, N/A/2, Civil Station, Tashkhand Marg, Civil Lines, (Opp. Hotel Grand Continental), Allahabad - 211001
Branch Office 3:- Head Quarter, 3rd floor, Sibra, Varanasi- 221010 (UP)